

5.05.14 R PBR /
प्रति क्रमिक :- 29/01/2014

माननीय अध्यक्ष / सदस्य महोदय,

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर केम्प इन्दौर

निगरानी अर्ज धारा 50 भू. राजस्व संहिता अनुसार
भोगीलाल पिता प्रेमचंद जाति जैन आयु 90 वर्ष निवासी
शाहबाजार बुरहानपुर जिला बुरहानपुर म.प्र.

R-382-PBR/14

श्री/अध्यक्ष/महोदय
राजस्व मण्डल काउन्सिल
इन्दौर म.प्र.
29/01/14
श्री

— — — प्रार्थी

विरुद्ध

1. हेमेन्द्र पिता बाबुलाल जैन
 2. कमलेश पिता बाबुलाल जैन
 3. पियुष पिता बाबुलाल जैन
 4. अतुलकुमार पिता बाबुलाल जैन
 5. भानुमतिबाई पति बाबुलाल जैन
- सभी निवासीयान शाहबाजार बुरहानपुर
जिला बुरहानपुर म. प्र.

— — — विपक्षीगण


महोदय,

आवेदक याचिकाकर्ता अपना यह सदर निगरानी अर्ज श्रीमान अपर
आयुक्त महोदय, इन्दौर संभाग के समक्ष की राजस्व द्वितीय अपील
क्रमांक 42/13-14 में के निर्णय दिनांक 22. 10. 2013 जो कि
अनुविभागीय अधिकारी बुरहानपुर के समक्ष के राजस्व प्रथम अपील क्रं.
21/अ06/10-11 में के आदेश दि नांक 31. 07. 2013 जो कि श्रीमान

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
आवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 382-पीबीआर/14 [भोगीलाल] हेमेट्ट]

जिला बुरहानपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
19-1-2015	<p>आवेदक अधिवक्ता श्री अजय श्रीवास्तव उपस्थित। उन्होंने आवेदकपक्ष के द्वारा प्रकरण आगे नहीं चलाये जाने के कारण समाप्त किये जाने का निवेदन किया गया। प्रकरण आवेदकपक्ष के निवेदन पर आगे नहीं चलाये जाने के कारण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है।</p> <p></p> <p>(मनोज गोयल) अध्यक्ष</p>	